

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2013/७४३

दिनांक ४-१०-१३

परिपत्र

संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-२) विभाग, राजस्थान, जयपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक: एफ.१ (२) डीओपी/ए-२/८६ जयपुर दिनांक ०४.१०.२०१३ के द्वारा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा चयनित चिकित्सको की नियुक्ति हेतु राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, १९६३ में नियुक्ति प्रक्रिया का संशोधन जारी कर दिया गया है, अतः आपके अधीन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा चयनित चिकित्सक जिन्होंने एक वर्ष का सन्तोषजनक परीविक्षाकाल पूर्ण कर लिया है, को नियमित वेतन श्रृंखला स्वीकृत करने हेतु उनके सेवा विवरण निर्धारित प्रपत्र में ३ दिवस में निम्न ई-मेल पर भिजवाने की व्यवस्था करें :-

1. jdplan-rj@nic.in
2. directorph-rj@nic.in


  
निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2013/७४३

दिनांक ४-१०-१३

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
2. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
4. ☒ प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि परिपत्र तुरन्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावे।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर